संख्या-31/2020/975/क0नि0प्र0/26-3-2020-20(60)/2020

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांक: 21 दिसम्बर,2020**

समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1046-47/स0क0/विकास/सबप्लान-संतकबीर नगर/ 2016-17 दिनांक 02 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड हैसर बाजार के ग्राम बेलौरा में सबप्लान योजनान्तर्गत नाली, इण्टर लाकिंग रोड, सीसी रोड, पुलिया निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 248.87 लाख के प्रस्ताव के सम्बन्ध में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड हैसर बाजार के ग्राम बेलौरा में नाली, इण्टर लाकिंग रोड, सीसी रोड, पुलिया निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 248.87 लाख के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर स्वीकृत संस्था यू.पी. सिडको से कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त कार्य मद में अधिष्ठान व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र अवशेष कार्यो को पूरा किया जायेगा। प्रयोजना के निर्माण के बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए निर्माण इकाई उत्तरदायी होगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों तथा योजना संचालन संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं निर्माण संबंधी भारत सरकार की समस्त गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी तथा इसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी उत्तदायी होगें।

5- प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्रांइग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

6- संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

7- स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ.प्र. प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगित/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स, योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सदुपयोग प्रमाण पत्र इत्यादि देना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

11- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

12- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटिरिंग भी किया जायेगा।

13- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

14- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020-बी-1-149-दस/2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक11-04-2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-05-2020 एवं शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29-09-2020 में निर्धारित दिशा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्देशों तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-892/दस/ 2020 दिनांक- 04 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

पृ.संख्या-31/2020/975/(1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी,संतकबीर नगर।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी संतकबीर नगर।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), संतकबीर नगर।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (सिडको) उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।